प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13 अगस्त, 2026

परियोजना आयात योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा- संघ सरकार-सीमा शुल्क पर रिपोर्ट प्रस्तुत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, परियोजना आयात योजना (संघ सरकार-सीमा शुल्क) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा, (2026 की रिपोर्ट संख्या 27), संसद में दिनांक 12 अगस्त, 2026 को प्रस्तुत की गई थी।

परियोजना आयात के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं, पप्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन एवं आंतरिक नियंत्रणो की प्रभावशीलता में सहयोग करने के लिए वैधानिक प्रावधानो की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा में बंदरगाह स्तर परियोजना आयात योजना की संविदाओं के पंजीकरण, आयातीकरण तथा अंतिम रूप देने, से संबंधित विभिन पहलुओं को शामिल किया गया।

इस प्रतिवेदन में 36 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 11 सिफारिशें शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा का राजस्व निहितार्थ ₹ 128.58 करोड़ के साथ साथ ₹2,979.33 करोड़ वाली प्रक्रियात्मक अनियमितताओं है। सीबीआईसी एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और उन्हें उचित रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय I इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, नमूने, लेखापरीक्षा मानदंड एवं लेखापरीक्षा पद्धति के साथ परियोजना आयात योजना की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अध्याय II से IV में परियोजना आयात योजना में प्रक्रियात्मक पर्याप्तता की समीक्षा, योजना के अंतर्गत व्यापर मे सुगमता के उपायों एवं निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रणों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ, सम्मिलित है।

इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. परियोजना आयात विनियम (पीआईआर),1986,परियोजनाओं के पंजीकरण या पंजीकृत संविदाओं के अंतर्गत आयात को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। परिभाषित समय सीमा का अभाव परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची को प्रभावित करता है, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को दर्शाता है एवं आयात अनुपालन पर

नियंत्रण को भी कमजोर करता है, तथा संभावित रूप से शुल्क अपवंचन, माल का गैर-लेखांकन एवं सरकार के राजस्व का नुकसान हो सकता है।

(पैरा 2.1 एवं 2.2)

2. गैर-अनुसूचित परियोजनाओं एवं अपात्र मशीनरी/वस्तुतुवो को परियोजना आयात लाभों का विस्तार , निर्धारण चरण में परियोजना पात्रता के सत्यापन में कमियों एवं अधिसूचना प्रावधानो के अननुपालन से राजस्व की हानि को दर्शाता है।

(पैरा 2.4 एवं 2.7)

3. अंतिम रूप दिये गए 383 परियोजना आयात मामलोंं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आठ आयुक्तालयों के 57 मामलोंं में, अनिवार्य संस्तापना प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, निर्धारित संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) का संचालन किए बिना एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज़ जैसे कि मि लान विवरण, बिल ऑफ एंट्री की प्रतिया , इनवॉइसोंं एवं अंति म भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया था। संविदाओं को अंतिम रूप देने में ये कमियाँ परियोजना आयात विनियम (पीआईआर) एवं सीमा शुल्क कानून निय मावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने का संकेत देती है।

(पैरा 2.11 एवं 2.12)

4. लेखापरीक्षा में परियोजना आयात योजना (पीआई) के अंतर्गत माल की निकासी में पर्याप्त विलंब देखा गया, जो प्रक्रियात्मक सरलीकरण एवं त्वरित कार्गो ढुलाई के उद्देश्य के विरुद्ध है। इस तरह का विलंब 3 से 1,149 दिनोंं तक परियोजना आयात ढांचे के भीतर समन्वय,दस्तावेज़ प्रसंस्करण एवं प्रणाली-स्तरीय अनुमोदन में अक्षमताओं की ओर इशारा करता है। निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने से परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं राष्ट्रीय व्यापर सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) के अंतर्गत परिकल्पित लक्ष्यों को कमजोर करता है, जिससे व्यापर में सुगमता प्रभावित होती है।

(पैरा 3.1)

5. परियोजना संविदाओं के पूरा होने के बाद भी बिल ऑफ एंट्री को अंतिम रूप देने में विलंब देखा गया एवं विसंगतियां, जो पश -निकासी निगरानी में कमियों एवं परियोजना पंजीकरण एवं संबंधित आयात दस्तावेज़ों के मध्य अभिलेखोंं के अपर्याप्त अनुबंधन का संकेत देती है। इसके अलावा, परियोजना संविदाओं को अंतिम रूप दिए बिना बिल ऑफ एंट्री को समय से पहले अंतिम रूप देने के उदाहरण भी देखे गए, जो कमजोर आंतरिक

नियंत्रण एवं निर्धरण एवं परियोजना निगरानी अनुभागोंं के मध्य समन्वय की कमी की ओर इशारा करते है।

(पैरा 3.3)

6. लेखापरीक्षा में उन मामलोंं में बॉन्ड गारंटी एवं बॉन्ड के नवीनीकरण न होने के उदाहरणात्मक देखे गए जहां परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देना लंबित रहा, जो निगरानी में कमियों एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रणो का संकेत देते है।

(पैरा 4.1)

7. पृष्टि की गई मांग के मामलोंं में वसूली का लंबित होना अधिनिर्णयन मांगोंं को लागू करने के लिए विभाग की अनुवर्ती करवाई एवं निगरानी तंत्र में कमजोरियो का संकेत देता है। लंबे समय तक विलंब या गैर-वसूली के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी राजस्व में बाधा आती है, बल्कि सीमा अवधि की समाप्ति या आयातकोंं का पता न चलने के कारण प्राप्ति में कठिनाइयाँ भी हो सकती है।

(पैरा 4.3)

अनुशंसाएँ

रिपोर्ट की अनुशंसाएँ नीचे दी गई हैं :

1. सीबीआईसी एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद परियोजना आयात संविदा पंजीकरण को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर, एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समान अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए उपर्युक्त निर्देश जारी कर सकता है।

2. सीबीआईसी आयात को पूरा करने एवं परियोजनाओं को बंद करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने हेतु परियोजना आयात विनियम,1986 में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, आईसीईएस में एकीकृत प्रणाली-आधारित अलर्ट से उन मामलोंं को चिह्ननित किया जा सकेगा जहां निर्धारित अवधि से अधिक कोई आयात गति विधि नहीं हुई है, जिससे समय पर समीक्षा एवं ऐसे पंजीकरणों को बंद करने में मदद मिलेगी।

3. सीबीआईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनिवार्य दस्तावेज़ों को जमा किए बिना पंजीकरण को रोकने के लि ए आईसीईएस पंजीकरण मॉड्यूल के भीतर स्वचलित दस्तावेज़ सत्यापन नियंत्रण अंतर्निहित है।

4. सीबीआईसी टैरिफ प्रावधानोंं के अनुसार सही वर्गीकरण एवं शुल्क अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के परियोजना आयात मामलोंं की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड ,पंजीकरण तिथि,वर्गीकरण आदि के आधार पर अपात्र संविदा पंजीकरण को चिह्ननित करने के लिए आईसीईएस/ लाइसेस मॉड्यूल के भीतर स्वचालित सत्यापन नियंत्रणोंं को एकीकृत कर, जिससे संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्ततों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5. सीबीआईसी, आईसीईएस के भीतर अनिवार्य प्रणाली-आधारित सत्यापन जांच स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात मामले को अंति म रूप देने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि समस्तपना प्रमाणपत्र एवं संयंत्र स्थल सत्यापन प्रति वेदन अपलोड एवं सत्यापित नहीं किए जाते है।

6. सीबीआईसी, आईसीईएस में सभी परियोजना आयात बिल ऑफ एंट्री के निकासी समय की प्रणाली-आधारित निगरानी शुरू करने पर विचार करे एवंप्रक्रि या की बाधाओं की पहचान करने एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में विलंब का विशलेषण कर सकता है।

7. सीबीआईसी,आईसीईएस में एक संयोजन तंत्र को शामि ल करने पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना आयात संविदाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित बिल ऑफ़ एंट्री का सत्यापन स्वचालित रूप से शुरू हो जाए, जिससे पृथक या समय से पहले बंद होने से रोका जा सके। इसके अलावा, लंबित या अतिदेय बीई को अंतिम रूप देने के लिए स्वचालित चेतावनी भी आयुक्तालय स्तर पर व्यवस्तिथ निगरानी को सक्षम बनाएगी।

8. सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे कि वे बॉन्ड एवं बैक गारंटी के नवीनीकरण की आवश्यकता को सख्ती से लागू करे,जब तक कि परियोजना आयात संविदा, पीआईआर 1986 के प्रावधानोंों के अनुसार अंति म रूप से तय नहीं हो जाते। बॉन्ड /बीजी की वैधता की निगरानी करने एवं समाप्ति के करीब लंबित मामलोंों को चिह्ननित करने के लिए आईसीईएस में एक सिस्टम -आधारित अलर्ट तंत्र स्थापित किया जाए।

9. सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करे कि परियोजना आयात विनियम,1986 के अंतर्गत शामिल सभी संबंधित पक्षषों से जुड़े सभी आयात को निर्धारित दिशानिर्देशो के अनुसार तुरंत विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) को भेजा जाए। इसके अलावा, निर्धारण से पहले एसवीबी सन्दर्भ के लिए संबंधित-पक्ष संव्यवहार को स्वचलित रूप से चिह्ननित करने के लिए एक आंतरिक अनुपालन जांच-सूची को आईसीईएस प्रणाली में एकीकृत किया जाए।

10. सीबीआईसी सभी पृष्ट मांगोंों की स्थिति एवं शुरू की गई वसूली करवाईयो का पता करने के लिए आईसीईएस के भीतर एक केंद्रीकृत रजिस्टर या डिजिटल ट्रैकर स्थापित करके अपने मांग वसूली एवं निगरानी ढांचे को मजबूत करे।

11. सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 04 मई 2011 परिपत्र सं. 22/2011-सीमा-शुल्क में निर्धारित रिपोर्टिंग एवं निगरानी ढांचे का सख्ती से पालन निर्देशित कर सकता है। आंकड़ो की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना आयात

रेगिस्टरों को डिजटल रूप से रखरखाव किया जाए एवं समय-समय पर निगरानी की जाए। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम) वास्तविक समय में आयुक्तालयों में लंबित मामलोंं को कैप्चर करने एवं समेकित करने के लिए आईसीईएस से जुड़े एक स्वचालित डैशबोर्ड को विकसित करने पर विचार कर सकता है।